



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 393 राँची, मंगलवार,

23 जून, 2024 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

7 जून, 2024

विषय:- “ झारखण्ड बाड़ी ” मासिक पत्रिका के प्रकाशन एवं इसके राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों में वितरण की स्वीकृति।

जापांक-07/म.स./यो.-मा०प०-376/2023-1241--राज्यान्तर्गत 38432 आँगनबाड़ी केन्द्र कार्यशील हैं। समाज के जमीनी स्तर पर संचालित इन केन्द्रों के बहुआयामी प्रभाव है। आँगनबाड़ी केन्द्र पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विभिन्न सेवाओं के समाज में वितरण एवं लाभार्थियों द्वारा इनकी ग्राह्यता में महती मंच अदा करते हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य, संदर्भ, शाला पूर्व शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण आँगनबाड़ी सेवाएँ तथा ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) रक्तअल्पता उन्मूलन, कृमि उन्मूलन इत्यादि संबंधी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण का आधार स्थल के रूप में भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक महत्व के सरोकारों जैसे- बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा रोकथाम, बालिका शिक्षा एवं स्वच्छ आदतों को बढ़ावा देना इत्यादि को समाज के न्यूनतम स्तर तक सफलतापूर्वक पहुँचाने में भी आँगनबाड़ी केन्द्रों का योगदान है। इन कारणों से समाज के विभिन्न तबकों का आँगनबाड़ी केन्द्रों से सम्पर्क बना रहता है।

2. सरकार के उपर्युक्त महत्वकांक्षी सेवाओं एवं कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनजागरण इनकी सफलता की महत्वपूर्ण कुँजी है। आँगनबाड़ी केन्द्रों के पोषक क्षेत्रों के लाभार्थी ही नहीं अपितु क्षेत्र के अन्य हितधारक भी इन केन्द्रों में जाया करते हैं। ऐसे में इन केन्द्रों में रचनात्मक प्रस्तुतिकरण यथा चित्रात्मक एवं मनोरंजक रूप में कथाओं, तथ्यात्मक आलेखों तथा विवेचनों उपलब्ध कराकर उपर्युक्त सेवाओं एवं कार्यक्रमों संबंधी अल्प व्यय कर सुलभ रूप में अन्तिम व्यक्ति तक व्यापक जन-जागरण सुनिश्चित कराया जा सकता है। एतद् उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विचारणीय है कि राज्य के प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों में पत्रिकाएँ उपलब्ध कराया जाय।

3. उपर्युक्त समरूप बिहार राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों में “ बिहार के आँगन” नामक मासिक पत्रिका की उपलब्धता, झारखण्ड के शिक्षालयों में “पंख” नामक मासिक पत्रिका का वितरण जैसे उदाहरण सम्मुख हैं। इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभावों के तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए राज्य के माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा भी एतद् समरूप मासिक पत्रिका का राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।

4. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निम्न स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- i. राज्यान्तर्गत कार्यशील प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों/लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में पाँच (5)- पाँच (5) मासिक पत्रिका उपलब्ध कराई जायेगी। एतद् पत्रिका “ झारखण्ड बाड़ी “ के नाम से प्रकाशित कराये जायेंगे।
- ii. इस पत्रिका का सम्पादन निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा। इसमें इन्हें प्रशासी विभाग के अधीनस्थ विभिन्न संस्थाओं यथा-झारखण्ड पोषण मिशन, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड राज्य महिला आयोग, झारखण्ड राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, राँची द्वारा समन्वय एवं सहयोग प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल कल्याण सहित वृद्ध कल्याण विषयक क्षेत्रों से संबद्ध हेतु कार्यरत राज्य सरकार के अन्य विभागों एवं हितधारकों/एजेन्सियों द्वारा भी उपलब्ध कराये जाने वाले बहुमूल्य आलेखों/सुझावों/प्रस्तुतियों का समाहित कर प्रकाशित कराये जा सकेंगे।

प्रकाशनीय इन पत्रिकाओं का प्रतिलिप्याधिकार महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड में निहित होगा।

- iii. निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, आँकड़ों एवं विवरणों इत्यादि प्रकाशक एजेन्सियों को उपलब्ध करायेंगे जिसके आलोक में प्रकाशक एजेन्सियों द्वारा पत्रिका प्रकाशित करते हुए आँगनबाड़ी केन्द्रों तक वितरित करायेंगे।

- iv. उपर्युक्त पत्रिका के प्रकाशन एवं आपूर्ति निमित्त प्रकाशक एजेन्सी (यों) का चयन सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्रय प्लेटफॉर्म पर निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

एतद् क्रय एवं आपूर्ति प्राप्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया नियमन के अनुपालन में किया जायेगा। प्रावधानित कार्यों के सम्पादन पर व्यय दर एतद् क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया संबंधी विधिवत् न्यूनतम निविदा दर पर आधारित होगा।

v. पत्रिका के न्यूनतम गुणधर्म निम्नवत् होंगे-

- a) Number of Pages : 40
- b) Magazine Size :7.75"x 10.25"
- c) Multi-Color Printing of Magazine
- d) Inside Paper specification : Glazed Newsprint 56 gsm
- e) Paper for Cover : 100 gsm art paper
- f) Binding : Centre Stitch

प्राप्ति हेतु उक्त न्यूनतम गुणवत्ता के अतिरिक्त आवश्यक तकनीकी गुणवत्ता का निर्धारण क्रेता द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत किया जा सकेगा।

vi. पत्रिका के माध्यम से महिला एवं बाल कल्याण विषयक महत्वपूर्ण आलेखों सहित तत्कालीन प्रमुख समसामयिक विषय प्रकाशनीय होंगे। इनमें प्रमुखतः सन्निहित होंगे -

vii. गर्भवस्था एवं प्रसवोपरांत आदर्श आहार की ग्राह्यता, चिकित्सीय जाँच, पूर्ण चक्र टीकाकरण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य आदतों की व्यवहार्यता इत्यादि का व्यापक प्रसार;

viii. संस्थागत प्रसव, नौनिहालों को स्तनपान, 06 माह के उपरांत शिशुओं को संतुलित पोषणाहार खिलाना, 03 वर्ष उपरांत शिशुओं को शाला पूर्व शिक्षा एवं 06 वर्ष उपरांत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराने हेतु तत्पर रहना इत्यादि संबंधी जन-जागरूकता;

ix. शिशुओं में कुपोषण उन्मूलन, समुचित देखभाल, पूर्ण चक्र टीकाकरण एवं संबंधी स्वास्थ्य प्रबंधन ;

x. महिलाओं एवं किशोरियों में रक्तअल्पता उन्मूलन एवं कुपोषण उन्मूलन, स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता संबंधी आदतों की व्यवहार्यता, परिवार नियोजन इत्यादि का प्रसारित कराना;

xi. शारीरिक रोगों के रोकथाम एवं इस हेतु व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक दायित्वों का व्यापक जन-जागरण;

xii. शिशुओं के शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक विकास एवं इस संबंधी समुचित देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-भाल एवं शिक्षा इत्यादि;

xiii. किशोरियों एवं महिला के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण, सामुदायिक शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा तथा इस संबंधी व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक दायित्वों का व्यापक जन-जागरण ;

xiv. बाल, किशोर-किशोरी, महिला एवं वृद्ध/आशक्त कल्याणार्थ सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं का व्यापक प्रसार ;

xv. विशेष अवसरों पर महानुभावों के विचारों एवं संदेशों का प्रकाशन एवं प्रसार ;

- xvi. बाल, किशोर-किशोरी, महिला एवं वृद्ध/आशक्त कल्याणार्थ किये जा रहे प्रयासों संबंधी प्रेरक प्रसंगों का व्यापक प्रसार ;
- xvii. बाल एवं महिला कल्याण इत्यादि संबंधी नवोन्मेशी प्रयासों एवं सुझावों का प्रसार;
- xviii. पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सहित उपर्युक्त विषयों पर व्यापक चर्चा एवं विमर्श;
- xix. अन्यान्य, जो प्रशासी विभाग एवं संपादक जन-जागरण हेतु उपयुक्त समझे।
- xx. अपपण् उपर्युक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण योजना के तहत किया जायेगा।
- xxi. उपर्युक्त प्रावधानों में गुणोत्तरसकारात्मक वृद्धिसुधार पर विभाग स्वयं स्तर से निर्णय ले सकेगा।

5. कवर पेज सहित 44 पृष्ठों के रंगीन पत्रिका के प्रति पत्रिका औसतन ₹-40.00 के व्यय की दर से प्रत्येक माह ₹-76.864 लाख (38432*5*40) अर्थात् प्रत्येक वर्ष ₹-922.368 लाख का व्यय अनुमानित है। यद्यपि अन्तिम व्यय निविदा आधारित न्यूनतम दर पर प्रकाशित पत्रिकों के आधार पर आकलित होगी।

6. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण योजना अधीन आपूर्ति एवं सामग्री इकाई में TSP मद में ₹-3423.34 लाख एवं OSP मद में ₹-2990.79 लाख अर्थात् कुल ₹-6414.13 लाख बजट उपबंध प्राप्त है जिसके तहत उपर्युक्त कार्य का सम्पादन कराया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि (अन्तिम तिमाही) में उक्त कार्य सम्पादन हेतु ₹-230.592 लाख के व्यय की संभावना है।

7. उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु व्यय निमित्त राशि राज्य मद के निम्न शीर्ष:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-A8-आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना -बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उप शीर्ष-A8-आँगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण;

- के उपर्युक्त इकाईयों अधीन विकलनीय होगी।

8. एतद् प्रावधान इसके राज्यादेश निर्गत तिथि से प्रवृत्त होंगे।

9. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-16.03.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव
